

डिक्री वमुकदमें ईव्वदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-324/2025

1. गुरसेवक सिंह पुत्र स्व. श्री मखन सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. गुरसाहब सिंह पुत्र स्व. श्री मखन सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- वादीगण

बनाम्

1. हरपाल कौर पत्नी स्व. श्री मखन सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. अमृतपाल कौर पुत्री स्व. श्री मखन सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सरदूल सिंह पुत्र स्व. श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. जसप्रीत सिंह पुत्र श्री सरदूल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

-प्रतिवादीगण



यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तव्य रूप से हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जाकिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है:-वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. बी के खाता सं. 70/52 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 3/4 हिस्सा अर्थात् 0.66375 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जावे व इसी प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 254/147 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 0.026 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 3 को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादीगण का नाम कलमजन किया जावे एवं इसी प्रकार वादीगण के नाम से तहसील संगरिया के चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 255/147 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 0.594 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 3 को 0.493 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादीगण का ब.हि.ब. हिस्सा कम किया जावे तथा इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 3 व 4 के नाम से तहसील संगरिया के चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 255/147 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 0.594 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 0.101 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज. ~~निल.~~ ~~मुब्लिक.~~ ~~निल.~~ ~~खाबत्.~~ ~~निल.~~ ~~खर्चा~~ मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ~~.....~~ अदा करें।

वसव्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 11.7.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया